राजस्थान कृषि उपज मण्डियां (प्रावधानों का वैधीकरण) अधिनियम, 1966[1]

(राजस्थान अधिनियम सं. 17 सन् 1966)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के प्रावधानों के अधीन लाग (Cess) के रूप में कतिपय रकमों की वसूली और लाईसेन्स जारी करने को वैधता प्रदान करने हेतु अधिनियम।

भारत गणतन्त्र के सत्रहवें वर्ष में राजस्थान विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (प्रावधानों का वैधीकरण) अधिनियम, 1966 है।

2. लाग के रूप में कतिपय रकमों की वसूली और लाईसेन्स जारी करने की वैधता—राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963, जिसे आगे कथित नियम कहेंगे, में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद और कोई त्रुटि, खामी क्षेत्राधिकार, शक्ति या प्राधिकार का अभाव होने के बावजूद, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि—

(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण प्रावधान) अध्यादेश, 1965 (राजस्थान अध्यादेश सं. 4 सन् 1965) के लागू होने के पश्चात् किसी मण्डी समिति द्वारा लाग (cess) के रूप में लगाई गई और वसूली की गई राशियां, राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहेंगे) की धारा 17 के अधीन सदैव समस्त प्रयोजनों के लिये शुल्क के रूप में कानूनन यथोचित लागू की जाना और वसूली की जानी समझी जाएगी और लाग के रूप में वसूल की गई किसी राशि की वापसी के लिये कोई दावा (क्लेम) नहीं किया जाएगा।

(2) राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 प्रारम्भ होने की तिथि से, किसी मण्डी क्षेत्र में काम करने के लिए, मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये, इन्कार किये गये, खारिज किये गये या स्थगित किये गये समस्त लाईसेन्स और ऐसे लाईसेन्सों के लिए लागू की गई और वसूल की गई समस्त राशियाँ, मण्डी में काम करने के लिये यथोचित और वैध रूप से, जारी किये गये, इन्कार किये गए, खारिज किये गये या स्थगित किये गये और लागू की गई तथा वसूल की गई समझी जाएगी और निम्नलिखित आधारों पर किसी भी न्यायालय में उनको चुनौती दी जाएगी—

(i) यह कि ऐसे लाईसेन्स मण्डी में नहीं बल्कि मण्डी क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिये प्रदान किये गये थे, और

(ii) यह है कि मूल अधिनियम की धारा 17 द्वारा अपेक्षित अधिकतम शुल्क की मात्रा निर्धारित की हुई नहीं थी।

(3) कथित नियमों के नियम 69 से 74 दिनांक 26 अगस्त, 1965 से वैध रूप में बनाए गये समझे जायेंगे मानो—

(अ) कथित नियमों में जहां कहीं भी शब्द "लाग" (Cess) आया है वहां "शुल्क" (Fee) प्रतिस्थापित किया गया था, और

---

1. राजस्थान राजपत्र भाग 4-क विशेषांक दिनांक 29 जून 1966 को प्रकाशित।

Scanned with CamScanner

(ब) कथित नियमों के नियम 69 (4) और 72 (1) 3 (iv) और (4) में जहां कहीं भी शब्दावली "मण्डी क्षेत्र" आया है वहां शब्द "मण्डी" प्रतिस्थापित किया गया था।

और सन्देह मिटाने के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कथित नियमों का अर्थ कथित दिनांक के तद्नुसार समझा जाएगा।

परन्तु इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले किये गये किसी कार्य के संबंध में किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया जाएगा, यदि इस धारा के प्रावधानों के सिवाए, उक्त कार्य मूल अधिनियम के अधीन कोई अपराध नहीं था।

व्याख्या

(a) निरसन का प्रभाव : जब एक पुराना अधिनियम निरस्त किया जाता है तो इस हेतु हमेशा परिवर्तन के लिये एक अवधि होती है तथा नये अधिनियम में अनिवार्य रूप से एक वचन या निरसन खण्ड उस अधिनियम में जोड़ा जाता है।[1]

(b) संशोधन एवं निरसन (repeal)**:** निर्वचन या व्याख्या का यह नियम है कि जब भी कोई विद्यमान प्रावधान को निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर कोई कानून जोड़ा जाता है तो किसी प्रतिकूल मंशा के अभाव या अनुपस्थिति में, वह निर्णय जान बूझ कर या समझकर लिया निर्णय माना जायेगा।[2]

(c) छूट एवं निरसन : कुछ क्षेत्रों में, इस अधिनियम के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम जारी कर कोई छूट मन्जूर करना, उस अधिनियम को निरस्त करना या निरस्तीकरण के समान नहीं है।[3]

(d) संकेत या अभिप्राय द्वारा निरसन (Repeal by implication) **:** यह संरचना (Construction) का प्रमुख अथवा मूलभूत सिद्धांत है कि संकेत एवं अभिप्राय द्वारा निरसन नहीं किया जाना चाहिये। जब किसी एक ही विषय पर दो अधिनियम होते हैं, तो नियम है कि यदि सम्भव हो तो दोनों को ही लागू किया जावे। निरस्त करने की विधिकार की मंशा स्पष्ट प्रकट (manifest) होनी चाहिये।[4]

विधिकर्त्ता के लिये यह माना जाता है कि वह किसी विषय संबंधी महत्वपूर्ण प्रयास या कार्यवाही एक कानून के निरसन एवं संशोधन द्वारा करते समय ऐसी स्पष्ट तथा निश्चित मंशा प्रकट की जावे। इस प्रकार की व्याख्या, जब तक कि अनिवार्य या अपरिहार्य (inevitable) नहीं हो, नहीं की जानी चाहिये।[5]

यह नहीं कहा जा सकता कि, एक विशिष्ट कानूनी प्रावधान जिससे कर से छूट अनुमोदित की जाती है तथा सामान्य कानून जिसके द्वारा कर लगाया जाता है, दो साथ-साथ नहीं चल सकते।[6]

दो कानूनों के मध्य विद्यमान असंगतता या विरोध में यदि पूर्व वाले कानून को समाप्त करना आवश्यक हो तो वे दोनों ऐसे होने चाहिये कि उनमें न तो समाधान (reconcile) हो सकता है और न वे दोनों साथ-साथ लागू रह सकते हैं।[7]

[(कामर्शियल एण्ड इण्डस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड बनाम मीर सरफराज अली खान, ए.आई.आर. 1956, हैदराबाद 65: आई.एल.आर. 1965 हैदराबाद 79 (एफ.बी.)]

---

1. नगरपालिका खण्ड लखनऊ बनाम रामअवतार 1960 क्रिमिनल लॉ जरनल AIR 1960 इलाहाबाद 19
2. हरि विष्णु कामथ बनाम चुनाव ट्रिब्यूनल 1958 लेब.एल.जे. 1953 एम.पी.एल.जे 426; ए.आई.आर. 1958 मद्रास 168
3. भिकूसे यमासा क्षत्रिय बनाम सधाभर अकोले तालुका बीड़ी कामगर यूनियन ए.आई.आर. 1960 बम्बई 229; 61 बम्बई एल.आर. 164
4. बनवारी लाल बनाम राज्य 1967 क्रिमिनल एल.जे. 814, ए.आई.आर. 1956 इलाहाबाद 385
5. जलधंर ट्रांसपोर्ट को ओपरेटिव सोसाइटी बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1959 पंजाब 169; ए.आई.आर. 1959 पंजाब 34
6. ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्यू. वीविंग कम्पनी लि. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 1962 लैब एल.जे. 581, 1960 म.प्र. एल.जे. 789; 1960 एम.पी.सी. 387; ए.आई.आर. 1960 म.प्र. 330.
7. कामर्शियल एण्ड इण्डस्ट्रीयल बैंक लि. बनाम मीर सरफराज अली खान ए.आई.आर. 1956 हैदराबाद 65; आई.एल.आर. 1975 हैदराबाद 79 (एफ.बी.)

Scanned with CamScanner

(e) निरसन की वैधता (Validity of repeal)– राज्य सरकार ने आज्ञा दि. 23-4-1955 से नगरपालिका बोर्ड के मामले में कुछ चुंगी (octroi) कर मंजूर किये थे एवं उन्हें बोर्ड द्वारा 1-7-1955 से प्रभाव में लाया गया। इन करों की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि (1) राजस्थान टाउन म्यूनिसीपेलिटी अधिनियम की धारा 44 (b) के अनुसार बोर्ड ने कोई नियम, उक्त अधिनियम की धारा 60 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार नहीं बनाये, तथा (2) उक्त अधिनियम की धारा 46 (1) (k) के अनुसार उप-कानूनों को बनाने की सरकार से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई।

यह निर्णय हुआ कि (1) संशोधन अधिनियम की धारा 2 (3), उन समस्त करों, नियमों तथा उप कानूनों को मान्य करार देती है जो कि संशोधन अधिनियम लागू होने की तारीख अर्थात् 30-10-1956 को लागू थे। इसलिये ये भविष्य के लिये भी जारी रहेंगे एवं किसी अशुद्धि विलोपन (omission) या भूल अथवा कमी के आधार पर तथा (2) संशोधन अधिनियम की धारा 2 (2) में प्रावधित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के आधार पर उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त उप-कानूनों के सम्बन्ध में कि इस अधिनियम की धारा 46 (1) के अनुसार सरकार की पूर्व स्वीकृति नहीं लेना धारा 2 (2) से ठीक की गई प्रक्रिया की खामी थी।[1]

5. संशोधन अधिनियम के सिद्धान्त–एक विधि सम्बन्धी बिन्दु पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निश्चित रूप से देश का कानून होता है तथा भारत में समस्त न्यायालयों द्वारा उसकी अनुपालना अनिवार्य रूप से बाधित (binding) होती है। परन्तु इस प्रकार घोषित कानून देश का साधारण कानून होता है न कि निर्वाचक या नियोजक (constituent) कानून। संविधान का अनुच्छेद 141 विधायिका पर बाधित नहीं करता। इसलिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार से घोषित कानून को विधान मण्डल अपने संबंधित क्षेत्र में रहते हुए, परिवर्तित कर सकता है।[2]

---

1. 1958 आर.एल.डब्ल्यू. 347; आई.एल.आर. (1958) 8 राजस्थान 492; ए.आई.आर. 1959 राजस्थान 86 (डी.बी.)
2. पृथिवी काटन मिल लिमिटेड बनाम ब्रोच बोरोह नगरपालिका, ए.आई.आर. 1968 गुजरात 724

Scanned with CamScanner